

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पं० - 550/2025

बनवान :-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र उदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
बनाम  
1. अजयराज पुत्र चानणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. औम प्रकाश पुत्र रुघाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
3. जीवनराम पुत्र रुघाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
4. कलावती पत्नी उदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
5. द्रोपती पत्नी चानणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
6. पूनम पुत्री चानणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
7. बलवंत पुत्र उदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
8. रानी पुत्री उदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
9. शिशपाल पुत्र उदाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।
10. सुमन पुत्री चानणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी।

प्रतिवादीगण

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।  
आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है - क.  
वादी सुभाषचन्द्र को प्राप्त आराजी: - चकनं० 13 आर डबल्यू डी के प०न० 233/377 मु० 12 किलानं० 12/.253, चकनं० 10 एजी ए के प०न० 209/370 मु० 20 किलानं० 2/2/.228 है०

ख. प्रतिवादी सं० 1 अजयराज को प्राप्त आराजी: - चकनं० 13 आर. डबल्यू के खाता सं० 233/377 मु० 12 किलानं० 13/.253 है०

ग. प्रतिवादी सं० 2 औमप्रकाश को प्राप्त आराजी :- चक नं० 13 आर. डबल्यू डी के प०न० 233/377 मु० 12 किलानं० 23/2/.202, चकनं० 10 एजी ए के प०न० 209/370 मु० 20 किलानं० 9/2/.228 है०

घ. प्रतिवादीसं० 3 जीवनराम को प्राप्त आराजी :- चक नं० 10 एजी.ए के प०न० 209/369 मु० 16 किलानं० 16/.253 है०। इसी अनुसार चक 10 एजीए के खाता सं० 20/53 में से प्रतिवादीगण सं० 5 ता 10 का नाम कलमजन व प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलतजन,

व चक 13 आरडबल्यूडी के खाता सं० 27/80 में से प्रतिवादीगण सं० 5 ता 10 का नाम कलतजन व प्रतिवादी सं० 3 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार खाता विभाजन अलग से कायम किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 13/2/24 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक (राजस्व)  
R.A.S.